उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग–2

संख्या ए–2-797 / दस–87–24 (12)-86

लखनऊ, दिनांक 25 मई, 1987

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–अधिकारों का प्रतिनिधायन–अस्थाई पदों का स्थाईकरण।

वर्तमान प्रक्रियानुसार अस्थाई पदों के स्थाईकरण के आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जाते हैं। अधोहस्ताक्षरी को अब यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य में दक्षता लाने तथा अधिकाधिक पदों को स्थाई किये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई पदों को स्थाई करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को तत्कालिक प्रभाव से प्रतिनिहित कर दिये जाएं :–

(1) प्रश्नगत पद किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये या किसी नियत अवधि के लिये सृजित न किये हों। उदाहरणस्वरूप उनका सृजन केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजनाओं के अन्तर्गत न किया गया हो।

(2) जिस कार्य या कार्यालय के लिये प्रश्नगत पद सृजित किया गया हो वह स्थाई प्रकार का हो तथा उसके संबंध में प्रशासकीय विभाग संतुष्ट हों कि वह भविष्य में निरन्तर चलता रहेगा।

(3) स्थाईकरण के दिनांक से कम से कम 3 वर्ष पूर्व वित्त विभाग की सहमति से पद का सृजन किया गया हो और वर्षानुवर्ष उसकी निरन्तरता की शासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती रही हो।

(4) प्रश्नगत पद 6 माह अथवा उससे अधिक अवधि से रिक्त न हो।

(5) पद के पदनाम एवं उसके वेतनमान के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उसका पदनाम और वेतनमान सही हो तथा वह वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किये गये हों।

(6) स्थाई किये जाने वाले पद की भविष्य में फालतू होने की कोई संभावना न हो तथा प्रशासकीय विभाग पूर्ण रूप से संतुष्ट हों कि प्रश्नगत पद का स्थाईकरण कार्यभार तथा निर्धारित मापदण्ड (यदि कोई हो) के आधार पर पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण है।

(7) स्थाई किया जाने वाला पद किसी स्थाई पद को आस्थगित रखकर सृजित न किया गया हो।

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा पद सृजन के मूल आदेश तथा उसकी निरन्तरता के आदेश देखकर यह संतुष्ट कर लिया गया हो कि मामले में कोई विसंगति नहीं है।

2–प्रशासकीय विभाग कृपया अनिवार्य रूप से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी विभागीय सचिव के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि आदेशार्थ प्रस्तुत स्थाईकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपर्युक्त सभी आठों शर्तें पूरी हो जाती हैं।

3–सुविधा के लिये पदों के स्थायीकरण के आदेश निर्गत किये जाने वाले आदेश का प्रारूप संलग्न है।

4–पदों के स्थाईकरण के अन्य प्रस्ताव जिनमें उपरोक्त शर्तें न पूरी होती हों, वित्त विभाग को पूर्ववत् सहमति हेतु संदर्भित किये जायेंगे।

सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव।

शासन के समस्त सचिव
एवं विशेष सचिव।

संख्या ए–2–797 (i)/दस–87-24 (12)–86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2–शासन के समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव।

3–समस्त माननीय मंत्रिगण के निजी सचिव।

4–प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1128/तैंतालिस–73 (1)-85, दिनांक 12-5-86 के संदर्भ में।

5–सचिवालय के समस्त अनुभागों को इस अभ्युक्ति के साथ कि पदों के स्थायीकरण सम्बन्धी निर्गत किये जाने वाले आदेशों की एक प्रति सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों/वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1 को भी इस आशय से प्रेषित की जाय कि यदि वह उन आदेशों में कोई त्रुटि पायें तो तुरन्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को लिख दें।

आज्ञा से,
बिसर्जन राम,
संयुक्त सचिव।

संख्या——————————

प्रेषक,

सेवा में,

(अनुभाग का नाम)

स्थान–लखनऊ, दिनांक 20

विषय–.....(विभाग, प्रभार कार्यालय आदि का नाम) के अन्तर्गत अस्थाई पदों का स्थाईकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय..... ..... (विभाग, प्रभार कार्यालय आदि का नाम) के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांक..... से स्थाई पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हों, भी देय होंगे।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थाई पदों के दिनांक.....से स्थाई पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम–6 के उल्लिखित शासनादेश संख्या..... दिनांक .....को, जिसमें इन पदों को वर्ष.....में दिनांक.....तक अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक.....तक के लिये ही दी गयी थी।

उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्यय के अनुदान संख्या.....के लेखा शीर्षक ..... के अन्तर्गत संसुगत इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थाईकरण कार्यालय ज्ञाप-संख्या ए–2-797/दस-87-24 (12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

भवदीय,

सचिव।

———

संख्या (i)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2–वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।

3–वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1।

4–गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या .....दिनांक.....द्वारा..... (विभाग, प्रभार, कार्यालय आदि का नाम) में दिनांक.....
.....से स्थायी किये गये पदों का विवरणः–

क्रम-संख्या	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

(नाम)

————————सचिव

————————विभाग

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 38 सा० वित्त--4.11.2006--(6431)-3,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।